भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 755
जिसका उत्तर गुरुवार, 05 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

मुकदमेबाजी पर अधिक व्यय

755 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों के न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या की जानकारी है, जिनमें भारत सरकार (UOI) वादी है और जिनमें वित्त, रक्षा, रेल और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय शामिल हैं ;

(ख) क्या सरकार का वार्षिक मुकदमेबाजी व्यय 2014-15 में ₹26.64 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹66.57 करोड़ हो गया है ;

(ग) क्या विधिक मामले विभाग ने मुकदमेबाजी और लंबित मामलों के कारणों का पता लगाने के लिए मंत्रालयों के साथ बैठकें प्रस्तावित की हैं ; और

(घ) मुकदमेबाजी को कम करने, अंतर-मंत्रालयी समन्वय में सुधार करने और सरकार के मुकदमेबाजी सम्बन्धी खर्चों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : न्यायालयों में वित्त, रक्षा, रेल और श्रम एवं रोज़गार मंत्रालयों से संबंधित लंबित वादों के आंकड़े निम्नानुसार है :-

न्यायालयों में तारीख 29-01-2026 को यथाविद्यमान लंबित वाद		
क्रम संख्या	मंत्रालय	लंबित वाद
1	वित्त	204765

2	रक्षा	95498
3	भारतीय रेल	119142
4	श्रम एवं रोज़गार	77005
कुल		496410

आगे, उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014-15 में सरकार का वार्षिक वाद-व्यय 26.64 करोड़ रुपये था और वर्ष 2023-24 में यह 66.57 करोड़ रुपये था।

(ग) और (घ) : विधि कार्य विभाग ने तारीख 04.04.2025 को सभी मंत्रालयों/विभागों को *"भारत सरकार द्वारा वादों के दक्ष एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु* निदेश*"* निर्गत किए हैं। इन निदेशों का उद्देश्य वादों के संचालन में सम्मिलित प्रशासनिक उपायों को सुव्यवस्थित करना तथा समयबद्ध परिणामों हेतु बेहतर समन्वयन को सुदृढ़ करना है।

****